अध्याय XXIV

दमन तथा द्वीव

संघ शासित-क्षेत्र दमन तथा द्वीव में दो जिले हैं। दमन और द्वीव-जो एक दूसरे से 800 किमी दूर हैं। यह संघ शासित क्षेत्र 30 मई, 1987 को अस्तित्व में आया था। संघ शासित क्षेत्र की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति का प्रतिशत क्रमशः 3.84 और 11.54 है। संघ शासित क्षेत्र की कुल जनजातीय जनसंख्या में से लगभग 99 प्रतिशत दमन ज़िले में रहती है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सहित संघ शासित-क्षेत्र का साक्षरता स्तर, काफी ऊंचा है। लगभग एक-तिहाई अनुसूचित जाति कार्यकता कृषि मजदूर हैं जो अपेक्षाकृत कम आय वाला व्यवसाय है। जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आवंटन तथा व्यय 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9.76 प्रतिशत था और 9 वीं योजना में 8.97 प्रतिशत था जो जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत की तुलना में कम है। संघ शासित क्षेत्र को जनजातियों के कल्याण के लिए टी.एस.पी. को राशि का प्रवाह बढ़ाना चाहिए।

24.2 1986 के दौरान ग्राम पंचायते स्थापित कर दी गई थी। वर्ष 1995-96 के दौरान दमन तथा द्वीव ज़िलों के लिए एक सम्मिलित ज़िला पंचायत स्थापित कर दी गई है। दमन को एक सामुदायिक विकास ब्लॉक माना जाता है। ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रम यथा संचार, सिंचाई, सामाजिक कल्याण आदि ब्लॉक विकास अधिकारी के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य हैं कि लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर के ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर सुधारा जाए और सामग्रीय तथा मानव संसाधनों का पूरा विकास किया जाए। आई. आर. डी.पी.के अन्तर्गत सभी कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन परियोजना अधिकारी, निदेशक, आर.डी.ए. के माध्यम से निष्पादित किए जा रहे हैं। टी.एस.पी. के अंतर्गत जनजातियों के विभिन्न प्रयोजनों के लिए हर पंचायत में एक सामुदायिक केन्द्र की व्यवस्था कर दी गई हैं।

24.3 राज्य सरकार द्वारा 1.1.96 को सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के बारे में दी गई जानकारी के अनुसार वर्ग "क" तथा "ख" पदों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। वर्ग "ग" पदों में भी यह उनकी जनसंख्या के अनुपात से कम है। प्रशासन को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए।

24.4 दमन तथा द्वीव के संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार की घटनाएं नगण्य हैं। 1997-98 के दौरान अत्याचार की किसी घटना की सूचना नहीं है।